[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 28th April, 2014

No. S.O. 50/CA-7/1909/S-6/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (Central Act 7 of 1909), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to provide for registration of Anand Marriages, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Anand Marriages Registration Rules, 2014. Short title and Commencement.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(a) "Act" means the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909);

(b) "Anand Marriage" means Anand Marriage commonly known as Anand Karaj solemnized under the Act;

(c) "Chief Registrar" means the Special Secretary to Government Haryana, Home Department;

(d) "District Registrar" means the Deputy Commissioner of the concerned district;

(e) "Form" means the form appended to these rules;

(f) "Register" means a register of Anand Marriages;

(g) "Registrar" means the Registrar of marriages as authorized under rule 3;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. For the purpose of registration of Anand Marriage within the State, the concerned Tehsildars in case of Rural areas, the concerned Joint Commissioner in case of Municipal Corporation, the concerned Executive Officers for the Municipal Committee and the concerned Secretary of Municipal Council in Urban areas are authorized as Registrar within their respective jurisdiction. Authorization of Registrar.

Registration.

4. The Anand Marriage shall be registered with the Registrar within whose jurisdiction such marriage is solemnized.

Maintenance of Register.

5. The Registrar shall maintain a Register of Anand Marriages in Form. I.

Procedure for Registration.

6. (1) The parties to the Anand Marriage shall prepare memorandum in duplicate, in Form-II and submit the same to the Registrar alongwith documents to prove the solemnization of the marriage to the satisfaction of the Registrar and registration fee of fifty rupees only within a period of thirty days from the date of solemnization of their marriage:

Provided that for registration of marriages solemnized before the commencement of these rules, memorandum shall be submitted within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(2) The memorandum shall be signed by both the parties to the marriage and at least two other persons who have witnessed the marriage.

(3) The parties to the marriage who have not registered their marriage within the period specified under Sub-rule (1) shall get their marriage registered by submitting the memorandum to the Registrar in Form-II and a declaration in Form-III alongwith documents to prove the solemnization of the marriage to the satisfication of the Registrar and Registration fee to two hundred rupees only.

Verification and registration of marriage.

7. (1) Where on verification and scrutiny of the memorandum and documents received under Sub-rule (1) or Sub-rule (3) of rule 6, the registrar is satisfied that the marriage has been solemnized, he shall enter the particulars of the marriage in the register and issue a certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) Where the register has reasons in to believe that—

(a) The marriage between the parties has not been performed in accordance with Anand Marriage ceremony; or

(b) The identity of the parties or the witness testifying the solemnization of the marriage is not established; or

(c) The documents tendered before him do not provide the marital status of the parties,

he may, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information presented to him within a period of thirty days from date of receipt of memorandum.

8. The Registrar may, for the reasons to be recorded in writing, refuse the registration of marriage, if the parties to the marriage fail to comply with the directions issued by him under sub-rule (2) of rule 7. Refusal of Registration.

9. The Registrar shall provide two copies of the certificate of Anand Marriage to the couple, free of charge, with fifteen days of receiving the application. Issuance of Certificate of Anand Marriage.

10. The Registrar may, on an application made by any party to the marriage, if satisfied that there is typographical or clerical mistakes in the entries made in the register or on the certificate of registration in relation to the name, age or date of marriage, make suitable corrections with previous sanction of the District Registrar and affix his signatures to each such correction. Correction of the Entries in the Register.

11. (1) Any person aggrieved by the decision of registration may file an appeal to the District Registrar within a period of three months from the date of communication such decision: Appeal.

Provided that the delay, if any, in filing such appeal may be condoned for the reasons to be recorded in writing by the District Registrar, if the Appellant satisfies District Registrar that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

(2) The District Registrar shall, after giving an opportunity of hearing to the parties concerned, dispose of the appeal within a period of fifteen days.

12. (1) Any person aggrieved by the decision of District Registrar may file an appeal to the Chief Registrar within a period of three months from the date of communication of such decision: Second Appeal.

Provided that the delay, if any, in filing such appeal may be condoned for the reasons to be recorded in writing by the Chief Registrar if the appellant satisfies the Chief Registrar that the had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

(2) The Chief Registrar shall, after giving an opportunity of hearing to the parties concerned, dispose of the appeal within a period of sixty days, whose decision shall be final.

13. (1) The Registrar shall forward duplicate copies of the memorandum received in a month to the District Registrar before the 10th day of every subsequent month. Filing of memorandum.

(2) The originals of the memorandum received by the Registrar and duplicate copies forwarded to the District Registrar shall be retained.

(3) The Registrar shall also forward particulars of the corrections made under rule 10 with the date of corrections and a copy thereof to the District Registrar.

FORM -1

[See rule 5]

REGISTER OF ANAND MARRIAGES

1. Date of Marriage:

2. Place of Marriage (Specify hall, auditorium etc.)	Local Area	Village	Taluk	District

Signature of the Husband

Photo of the Husband to be affixed	Photo of the Wife to be affixed

Signature of the Wife

3. Details of Parties to Marriage (As on the date marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Persent address		
(f) Previous marital status Married/ Unmarried Widower Widow/Divorced		
(g) Whether any spouse is living (if yes, number of spouse living)		
(h) Name of the father or guardian and the relationship (i) Age (ii) Address		
(i) Name of mother (ii) Age (iii) Address		

•put ( ) mark on whichever is applicable

4. Witnesses of solemnization of marriage

1. (a) Name:

(b) Address

2. (a) Name:

(b) Address:

SPACE FOR OFFICE USE

5. Date of Receipt of memorandum————————————

6. Details of documents/records/proof of marriage required under rule 6:

Date:

Registrar

Registration No. /(Year)

Date————

Registrar.

FORM -II

[See rule 6 (1)]

MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGE

(to be submitted in duplicate)

1. Date of Marriage:

2. Place of Marriage (specify hall, auditorium etc.)	Local Area	Village	Taluk	District

3. Details of Parties to Marriage (As on the date marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Persent address		
(f) Previous marital status Married/ Unmarried Widower Widow/Divorced		
(g) Whether any spouse is living (if yes, number of spouse living) Signature with date		
(h) Name of the father (i) Age (ii) Address Signature with date (if is a consenting party)		
(i) Name of mother (ii) Age (iii) Address Signature with date (if he is a consenting party)		

• put ( ) mark on whichever is applicable

4. Witnesses of solemnization of marriage

1. (a) Name:

(b) Address

(c) Signature with date

2. (a) Name:

(b) Address:

(c) Signature with date

5. Details of documents/records/proof of marriage required which document under rule 6:

Declaration of parties

We————————do hereby declare that the details shown above are true to the best of our knowledge and belief.

Signature of parties.

Place:	1. Husband
Date:	2. Wife

{For Office use}

Received by post/in person on——————

Registrar.

Registered in the Register of Marriage at on————————————
————————————at Registration No.——————————

Registrar.

FORM -III

[See rule 6 (3)]

DECLARATION

We—————(Name of the husband and wife) do hereby declare that our marriage was solemnized on—————(Date of marriage) at—————(Place of marriage). The memorandum for registration of marriage could not be submitted within the period specified under rule 6 due to———(specify reason). We hereby submit memorandum (Form II) along with documents to prove the solemnization of the marriage for the purpose of registration of our marriage.

Place:

Date:

Signature of Husband Signature of Wife

DECLARATION TO BE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER/MEMBER OF PARLIAMENT/MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY/MEMBER OF LOCAL SELF GOVERNMENT INSTITUTIONS

I—————hereby certify that the marriage between—————and —————was solemnized on date—————and the fact is personally known to me.

Signature with place, date and seal

FORM -IV

[See rule 7]

GOVERNMENT OF ——————

Department of ———————

CERTIFICATE OF MARRIAGE

{Issued under rule 7 of the Haryana Anand Marriage Registration Rules, 2012}

Certificate No.:

Dated:

This is to certify that the following information has been taken from the Register of Anand Marriage maintained in Form No. 1 in the office of the Registrar of the—————(local area)

1. Date of marriage——————
2. Place of marriage——————(as in Form No. 1)
3. Details of parties to the marriage

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Occupation		
(d) Age and date of birth		
(e) Permanent address		
(f) Name of parents or guardian and relationship (i) Father (ii) Mother (iii) Guardian		
Photographs: (Office seal covering photographs)		

Registration No. with year——————

Date of Registration——————

Registrar

(Name of Local Area)

Issue under my hand and seal on this the——————date of——————

P. K. GUPTA,
Addtional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

52159—C.S.—H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अप्रैल, 2014

संख्या का०आ० 50/के०अ० 7/1909/धा० 6/2014.—आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का केन्द्रीय अधिनियम 7), की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आनन्द विवाह के पंजीकरण को उपबन्धित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा आनन्द विवाह पंजीकरण नियम, 2014, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7);

(ख) "आनन्द विवाह" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित आनन्द कारज के रूप में सामान्यतः ज्ञात आनन्द विवाह;

(ग) "मुख्य रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग;

(घ) "जिला रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का उपायुक्त;

(ङ) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, आनन्द विवाह रजिस्टर।

(छ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, नियम 3 के अधीन प्राधिकृत विवाह रजिस्ट्रार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. राज्य के भीतर आनन्द विवाह के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में सम्बद्ध तहसीलदार, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की दशा में संयुक्त आयुक्त, सम्बन्धित नगरपालिका समिति के सम्बद्ध कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिका परिषद् के सम्बद्ध सचिव को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किया गया है। रजिस्ट्रार का प्राधिकार।

पंजीकरण।

4. आनन्द विवाह ऐसे रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा विवाह अनुष्ठापित किया गया है या ऐसे स्थान पर जहां पर पक्षकार सामान्यत: विवाह के समय पर या के बाद निवास करते हों।

रजिस्टर का रख रखाव।

5. रजिस्ट्रार प्ररूप-1 में आनन्द विवाह रजिस्टर रखेगा।

पंजीकरण के लिए प्रक्रिया।

6. (1) आनन्द विवाह के पक्षकार प्ररूप II में दोहरी प्रति में ज्ञापन तैयार करेंगे तथा उसे उनके विवाह के अनुष्ठापन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए विवाह के अनुष्ठापन के सुबूत तथा केवल पचास रूपए की पंजीकरण फीस सहित प्रस्तुत करेंगे :

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व अनुष्ठापित विवाह के पंजीकरण के लिए, ऐसा ज्ञापन, इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) ज्ञापन विवाह के दोनों पक्षकारों तथा कम से कम दो अन्य व्यक्ति, जिन्होंने विवाह की साक्षी दी हो द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(3) विवाह के पक्षकार जिन्होंने उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विवाह को पंजीकृत नहीं करवाया है, तो अपने विवाह को प्ररूप II में रजिस्ट्रार को ज्ञापन तथा रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए विवाह के अनुष्ठापन के सुबूत दस्तावेजों तथा केवल दो सौ रुपए की पंजीकरण फीस सहित प्ररूप III में घोषणा प्रस्तुत करते हुए, पंजीकृत करवा सकते हैं।

विवाहों का सत्यापन तथा पंजीकरण।

7. (1) जहां नियम 6 के उप-नियम (1) या उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त ज्ञापन तथा दस्तावेजों के सत्यापन तथा संवीक्षा पर रजिस्ट्रार की संतुष्टि हो जाती है कि विवाह अनुष्ठापित किया गया है, तो वह रजिस्टर में विवाह के विवरण दर्ज करेगा तथा प्ररूप IV में आनन्द विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार विश्वास करने का कारण रखता है कि :—

(क) पक्षकारों के बीच विवाह आनन्द विवाह कर्म के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ख) विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने वाले पक्षकारों या साक्षियों की पहचान नहीं हो पाई है; या

(क) उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति को साबित नहीं करते हैं;

तो वह पक्षकारों को ऐसी और सूचना तथा दस्तावेज जो वह आवश्यक समझे प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों तथा साक्षियों की पहचान या ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर उसको प्रस्तुत की गई सूचना या दस्तावेजों के सहीपन को सिद्ध करने के लिए बुला सकता है।

8. रजिस्ट्रार, अभिलिखित कारणों से विवाह पंजीकरण करने से इन्कार कर सकता है, यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन उस द्वारा जारी निर्देशों की पालन करने में असफल रहते हैं। पंजीकरण से इन्कार।

9. जहां विवाह अनुष्ठापित के बारे में रजिस्ट्रार की सन्तुष्टि हो जाती है, तो वह दम्पति को, आवेदन प्राप्त करने के पन्द्रह दिन के भीतर, नि:शुल्क आनन्द विवाह के प्रमाण पत्र की दो प्रतियां उपलब्ध करवाएगा। आनन्द विवाह प्रमाण-पत्र जारी करना।

10. रजिस्ट्रार विवाह के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, यदि संतुष्टि हो जाती है कि नाम, आयु या विवाह की तिथि के संबंध में रजिस्टर या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टियों में मुद्रण या लेखन संबंधी अशुद्धि है, तो जिला रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से यथोचित सहीपन कर सकता है तथा प्रत्येक ऐसे सहीपन पर अपने हस्ताक्षर करेगा। रजिस्टर में प्रविष्टियों का सहीपन।

11. (1) रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय की संसूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर जिला रजिस्ट्रार को अपील दायर कर सकता है : अपील।

परन्तु ऐसी अपील दायर करने में विलम्ब, यदि कोई हो, जिला रजिस्ट्रार अभिलिखित कारणों से माफ कर सकता है यदि अपीलकर्ता जिला रजिस्ट्रार को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(2) जिला रजिस्ट्रार सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा।

12. (1) रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति मुख्य रजिस्ट्रार को ऐसे निर्णय की संसूचना की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील दायर कर सकता है : द्वितीय अपील।

परन्तु यदि ऐसी अपील दायर करने में कोई देरी हो, तो मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, अभिलिखित कारणों से अनदेखी की जा सकती है यदि अपीलकर्ता मुख्य रजिस्ट्रार को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास विहित अवधि के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का निपटान नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

13. (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक पश्चातवर्ती मास के 10वें दिन से पूर्व जिला रजिस्ट्रार को मास में प्राप्त ज्ञापन की दोहरी प्रतियां भेजेगा। ज्ञापन दायर करना।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किया गया मूल ज्ञापन तथा जिला रजिस्ट्रार को भेजी गई दोहरी प्रतियां रजिस्ट्रार द्वारा रखी जाएंगी।

(3) रजिस्ट्रार सहीपन की तिथि से नियम 10 के अधीन किए गए सहीपन के विवरण तथा उसकी प्रति भी जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा।

प्ररूप-I

(देखिए नियम - 5)

आनन्द विवाह रजिस्टर

1. विवाह की तिथि :

2. विवाह का स्थान (हाल, आडिटोरियम इत्यादि विनिर्दिष्ट करें)	स्थानीय क्षेत्र	गांव	तालुक	जिला

पति के हस्ताक्षर

चिपकाई जाने वाली पति की फोटो	चिपकाई जाने वाली पत्नी की फोटो

पत्नी के हस्ताक्षर

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तिथि को)

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु तथा जन्मतिथि (पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करें)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
(च) पूर्व वैवाहिक स्थिति		
(i) विवाहित		
(ii) अविवाहित		
(iii) विधुर		
(iv) विधवा		
(v) तलाकशुदा		
(छ) क्या कोई पति/पत्नी जीवित है यदि हां तो जीवित पति/पत्नी की संख्या		

(ज) पिता या संरक्षक का नाम तथा सम्बन्ध		
(i) आयु		
(ii) पता		
(झ) माता का नाम		
(i) आयु		
(ii) पता		

टिक ( ) मार्क करें जो लागू है।

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

(1) (क) नाम

(ख) पता

(2) (क) नाम

(ख) पता

कार्यालय प्रयोग हेतु स्थान

5. ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि..

6. नियम 6 के अधीन अपेक्षित विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/सबूत के ब्यौरे :

तिथि :

रजिस्ट्रार

पंजीकरण संख्या (वर्ष)

दिनांक...............................

रजिस्ट्रार।

प्ररूप-II

[देखिए नियम - 6(1)]

आनन्द विवाह के पंजीकरण के लिए ज्ञापन

(दोहरी प्रति में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. विवाह की तिथि :

2. विवाह का स्थान (हाल, आडिटोरियम इत्यादि विनिर्दिष्ट करें)	स्थानीय क्षेत्र	गांव	तालुक	जिला

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तिथि को)

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु तथा जन्मतिथि (पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करें)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
(च) पूर्व वैवाहिक स्थिति		
(i) विवाहित		
(ii) अविवाहित		
(iii) विधुर		
(iv) विधवा		
(v) तलाकशुदा		
(छ) क्या कोई पति/पत्नी जीवित है यदि हां तो जीवित पति/पत्नी की संख्या (तिथि सहित हस्ताक्षर)		
(ज) पिता का नाम		
(i) आयु		
(ii) पता (तिथि सहित हस्ताक्षर यदि वह सहमति पक्षकार है)		

(झ) माता का नाम (i) आयु (ii) पता (तिथि सहित हस्ताक्षर यदि वह सहमति पक्षकार है)		

टिक ( ) मार्क करें जो लागू है।

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

(1) (क) नाम

(ख) पता

(ग) हस्ताक्षर दिनांक सहित तिथि

(2) (क) नाम

(ख) पता

(ग) हस्ताक्षर दिनांक सहित तिथि

कार्यालय प्रयोग हेतु स्थान

5. नियम 6 के अधीन अपेक्षित विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/सुबूत/जमा फीस के सुबूत के ब्यौरे :

तिथि :

रजिस्ट्रार

पक्षकारों की घोषणा

हम...इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दर्शाए गए ब्यौरे हमारी सर्वोत्तम जानकरी तथा विश्वासानुसार सही है।

पक्षकारों के हस्ताक्षर।

स्थान	1 पति
तिथि	2 पत्नी

कार्यालय प्रयोग के लिए

....को डाक व्यक्तिगत रूप में प्राप्त।

रजिस्ट्रार।

.................................को.....................................पंजीकरण संख्या..
के रूप में विवाह रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत।

रजिस्ट्रार।

प्ररूप-III

[देखिए नियम - 6(3)]

घोषणा

हम..(पति तथा पत्नी का नाम) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारा विवाह..(विवाह की तिथि) को...(विवाह का स्थान) पर अनुष्ठापित किया गया था। विवाह के पंजीकरण के लिए ज्ञापन...............(कारण विनिर्दिष्ट करें) के कारण नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। हम इसके द्वारा हमारे विवाह के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए विवाह के अनुष्ठापन को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजों सहित ज्ञापन (प्ररूप-II) प्रस्तुत करते हैं।

स्थान :

तिथि :

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी/लोकसभा सदस्य/विधानसभा सदस्य/स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था के सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित की जाने वाली घोषणा।

मैं..इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि विवाह ....के बीच तथा..............................को अनुष्ठापित किया गया था तथा मुझे तथ्य व्यक्तिगत तौर पर ज्ञात हैं।

स्थान, तिथि तथा मोहर सहित हस्ताक्षर।

प्ररूप-IV

(देखिए नियम - 7)

हरियाणा सरकार,...विभाग

विवाह प्रमाण पत्र

(हरियाणा आनन्द विवाह पंजीकरण नियम, 2013 के नियम 7 के अधीन जारी)

प्रमाण पत्र संख्या..

दिनांक...

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना.....................(स्थानीय क्षेत्र) के रजिस्ट्रार के कार्यालय में (प्ररूप I) में अनुरक्षित आनन्द विवाह रजिस्टर से ली गई है।

1. विवाह की तिथि..

2. विवाह का स्थान...(जैसे प्ररूप-1 में है)

3. विवाह पक्षकारों के ब्यौरे

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) व्यवसाय		
(घ) आयु तथा जन्मतिथि		
(ङ) स्थायी पता		
(च) पिता या संरक्षक का नाम तथा सम्बन्ध		
(i) पिता		
(ii) माता		
(iii) संरक्षक		
फोटोग्राफ		
(फोटोग्राफ आवरण कार्यालय मोहर)		

वर्ष सहित पंजीकरण संख्या...

पंजीकरण की तिथि..

रजिस्ट्रार

(स्थानीय क्षेत्र का नाम)

यह..के दिन को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन जारी किया गया।

पी० के० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग।